Press Note

TATA POWER-DDL

गुरुवार, 27 फरवरी 2025 **प्रेस विज्ञप्ति**

नई दिल्ली

टाटा पावर-डीडीएल ने बिजली चोरी और हमले के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तों को अदालत से दिलवायी सजा

नॉर्थ और नॉर्थवेस्ट दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल अपने माननीय उपभोक्ताओं को क्वालिटी बिजली सप्लाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, कंपनी बिजली चोरी की समस्या से भी निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ डिस्कॉम्स को टेक्निकल और कमर्शियल नुकसान होता है, जिसका बोझ अधिक शुल्क के रूप में कानूनी रूप से वैध उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है, बल्कि इस कारण लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ता है।

टाटा पावर-डीडीएल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, प्रह्लादपुर गांव में एक परिसर का निरीक्षण किया और वहां के बाशिन्दों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इनके खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुच्छेद 135 के तहत् मामला दर्ज किया गया तथा शाहबाद डेयरी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता के 341/509/379/536/186/353/34 अनुच्छेदों और उपरोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 135 के अंतर्गत एफआईआर दायर की गई।

इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार, एएसजे स्पेशल कोर्ट, रोहिणी ने की और उन्होंने हाल में सुनाए फैसले में दोनों अभियुक्तों - जगबीर डागर और जगफूल को विद्युत अधिनियम के अनुच्छेद 135 (बिजली चोरी), भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 341 (गलत तरीके से बाधित करने के लिए दंड), भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 186 (लोक सेवक के सार्वजिनक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारे या कार्रवाई) तथा भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 34 (सामान्य इरादे तथा संयुक्त आपराधिक जिम्मेदारी) के तहत् दोषी पाया।

इस घटनाक्रम के बारे में, **चीफ कमर्शियल, टाटा पावर-डीडीएल** ने कहा, *"हम बिजली चोरी करने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सभी उपलब्ध प्रावधानों/उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में, अदालत द्वारा सजा सुनाया जाना यह संदेश देता है कि राष्ट्र के संसाधनों की चोरी या दुरुपयोग करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"*

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में

टाटा पावर-डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच संयुक्त उद्यम है। कंपनी उत्तरी दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करती है। टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधारों के स्तर पर अग्रणी है और इसने उपभोक्ता-केंद्रित व्यवहारों के लिए अपनी साख बनायी है। निजीकरण के बाद, टाटा पावर-डीडीएल के वितरण इलाकों में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी आयी है। वर्तमान में, एटीएंडसी नुकसान 5.9% है, और जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान स्तर की तुलना में इसमें अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। टाटा पावर-डीडीएल के बारे में और जानकारी के लिए देखें: www.tatapower-ddl.com

For further information please contact:

Corporate Communications:	**Slough PR:**
John Edwin (9910082270)	Abhishek Anand(9711061540)